झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग
प्रेस विज्ञप्ति

सरकारी अस्पतालों द्वारा विभिन्न स्वास्थ्य बीमा योजनाओं से अधिकतम Claim की राशि प्राप्त कर अस्पतालों के बेहतर प्रबंधन एवं स्वास्थ्य सुविधाओं को Indian Public Health के मानक के अनुरुप करने के लिए अस्पताल प्रबंधन हेतु मार्ग–निर्देश विभागीय ज्ञापांक–108(21) दिनांक–14.08.2024 द्वारा निर्गत है। उक्त मार्ग निर्देश के आलोक में झारखण्ड राज्य के राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों एवं अस्पतालों में अति विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवा Consultant के रूप में उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पैनल निमार्ण हेतु Expression of Interest आमंत्रित किए जाते है। यह विज्ञप्ति अति विशेषज्ञ चिकित्सकों के पैनल निमार्ण हेतु जारी किया किया जा रहा है। यह प्रकिया किसी निश्चित अवधि तक सीमित न होकर सतत् (Continue) जारी रहेगी, जिससे इच्छुक चिकित्सक किसी भी समय आवेदन कर सकते है।

चयन समिति द्वारा पैनल को आवश्यकतानुसार अनुमोदित किया जायेगा। तदोरांत संबंधित अस्पताल द्वारा इनसे सेवा ली जायेगी।

निम्नांकित अति विशेषज्ञता विभागों हेतु अति विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवायें Consultant के रूप में वांछित हैं:–

क्र0सं0	अति विशेषज्ञता विभाग का नाम
01	Cardiology
02	Cardiothoracic and Vascular Surgery (CTVS)
03	Neurology
04	Neurosurgery
05	Medical Oncology
06	Surgical Oncology
07	Urology
08	Nephrology
09	Medical Gastroenterology
10	Surgical Gastroenterology

2. आवश्यक योग्यता एवं आयु सीमा :–

i. अतिविशेषज्ञ चिकित्सक के रूप में Consultant के लिए– DM/MCH/DNB (Super specialty)

3. पैनल निर्माण एवं चयन प्रक्रिया :–

i. इच्छुक चिकित्सकों का चयन–Walk-In-Interview के माध्यम से किया जाएगा।
ii. योग्य चिकित्सकों की सूची तैयार कर पैनल में शामिल किया जाएगा।
iii. अस्पताल आवश्यकतानुसार उनसे सेवाएँ प्राप्त करेगी।

Sd/- 26/03/25

iv. यह प्रक्रिया निरंतर (Rolling basis) पर जारी रहेगी अर्थात इच्छुक चिकित्सक कभी भी आवेदन कर सकते है और निर्धारित तिथियों पर आयोजित साक्षात्कार में भाग ले सकते है।

v. सरकारी नौकरी में कार्यरत चिकित्सक इन पदों के लिए योग्य नहीं होंगे।

5. सेवा की शर्त एवं Remunerations –

(क) अतिविशेषज्ञ चिकित्सकों (Superspeciality Consultants) की ली जाने वाली सेवाओं के लिए विभागीय संकल्प–108(21) दिनांक–14.08.2024 के आलोक में कार्रवाई की जायेगी।

इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा किया जाने वाला संशोधन स्वतः प्रभावी होगा।

(ख) Consultant चिकित्सकों की सेवा का मूल्यांकन उनके Performance के आधार पर समय–समय पर किया जायेगा। Performance असंतोषजनक पाये जाने पर संबंधित चिकित्सकों को पैनल से बाहर करते हुए उनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी।

6. Walk-In-Interview का स्थान :– साक्षात्कार की तिथि/समय एवं स्थान की सूचना संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय के वेबसाईट/सूचना पट्ट से प्राप्त की जा सकेगी।

7. सभी इच्छुक उम्मीदवार संबंधित सस्थान के वेबसाईट के अन्तर्गत Recruitment link पर दिये गये आवेदन पत्र में अंकित सभी वांछित सूचनाएँ पूर्ण रूपेण भरकर, सभी मूल प्रमाण पत्रों एवं उसकी स्व–अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ वाक–इन–इन्टरव्यू के आयोजन की तिथि एवं स्थान पर उपस्थित होंगे।

8. इस विज्ञापन को स्थगित करने, किसी आवेदन को बिना कोई कारण बताए स्वीकृत/अस्वीकृत करने एवं रिक्ति के अवशेष रहने की अवस्था में पुनः विज्ञापन प्रकाशित करने का सर्वाधिकार स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग को सुरक्षित रहेगा।

26/03/2025

निदेशक,
चिकित्सा शिक्षा,
झारखंड, राँची

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों एवं अस्पतालों के अन्तर्गत सुपरस्पेशियलिटी विभागों में निजी क्षेत्र के अति विशेषज्ञ चिकित्सकों को Consultant के रुप में सेवा प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र

स्वहस्ताक्षरित फोटो चिपकाएं

9. आवेदित पद/विभाग का नामः–
10. आवेदक का नामः–
    (क) हिन्दी मेंः–..
    (ख) अंग्रेजी के बड़े अक्षरों मेंः–..
11. पिता/पति का नामः–..
12. जन्मतिथिः– (अंक में)..
    (शब्द में)..
13. पत्राचार का पत्ताः–वर्त्तमान पता/मोहल्ला..
    पोस्टः–..................................थानाः–..................................
    जिलाः–..................................राज्यः–..................................पिनकोडः–..........................
    ई–मेलः–..मो0नं0..................................
14. शैक्षणिक योग्यताः–

क्र0 सं0	उत्तीर्ण परीक्षा	बोर्ड/वि0 वि0/ संस्था का नाम	वर्ष	प्राप्तांक	प्रतिशत	श्रेणी
01	एम0बी0बी0एस0					
02	एम0डी0/एम0एस0/ डी0एन0बी0/डिपलोमा इत्यादि					
03	DM/MCH/DNB (Superspecialty)					

15. आवेदक सभी प्रमाण पत्रों की स्वअभिप्रमाणित प्रति एवं अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करेंगे।
16. अनुलग्नकों की सूचीः–
    e) ....
    f) ....
    g) ....
    h) ....

घोषणापत्र

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदन पत्र में उल्लिखित सभी विवरणी सत्य है। किसी प्रकार की गलत सूचना एवं अनुमान्य अर्हता/अनुभव नहीं पाये जाने पर आवदेन अस्वीकृत करने या किसी भी निर्णय के लिये चयन समिति सक्षम होगा तथा जो मुझे स्वीकार होगा।

आवेदक का हस्ताक्षर

स्थानः–
दिनांकः–

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।

संकल्प

विषयः— मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य योजना एवं आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अन्तर्गत सरकारी चिकित्सा संस्थानों द्वारा उपार्जित राशि के उपयोग के दिशा निर्देश के संबंध में।

1. राज्य में राज्य योजना अन्तर्गत राज्य की जनता को गुणवत्तापूर्ण उच्चतर स्वास्थ्य सुविधाएँ निःशुल्क प्रदान करने हेतु मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य योजना तथा केन्द्र प्रायोजित आयुष्मान भारत–मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना संचालित है। योजना अन्तर्गत सूचीबद्ध अस्पतालों को निर्धारित Package अनुसार चिकित्सोपरांत Claim राशि प्राप्त होती है।

यह राशि अस्पताल के पंजीकरण शुल्क, बेड शुल्क(जेनरल वार्ड), नर्सिंग एवं बोंडिंग शुल्क, सर्जन, एनेस्थेटिस्ट, मेडिकल प्रैक्टिशनर, कंसल्टेंट्स शुल्क आदि, एनेस्थीसिया,ब्लड रिफयूजन, ऑक्सीजन, ओ0टी0 शुल्क की लागत, सर्जिकल उपकरण आदि, दवाएँ, कृत्रिम उपकरणों, प्रत्यारोपण आदि की लागत, पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी परीक्षण, जॉच एवं परीक्षण आदि, रोगी को भोजन, अस्पतालीकरण के पूर्व जॉच छुट्टी के उपरांत 15 दिनों तक के जॉच एवं दवा, अस्पताल में रोगी के उपचार से संबंधित अन्य खर्च निःशुल्क एवं कैशलेश उपचार के विरूद्ध प्राप्त होती है।

2. योजना अन्तर्गत सूचीबद्ध सरकारी अस्पतालों को भी निःशुल्क उपचार के विरूद्ध संबधित रोग हेतु निर्धारित Package के अन्तर्गत Claim की गई राशि प्राप्त होती।

विभागीय अधिसूचना संख्या–87(13) दिनांक–12.03.2019 के द्वारा योजना अन्तर्गत अस्पताल द्वारा उपार्जित दावा राशि का उपयोग अस्पताल स्तर पर गठित अनुश्रवण समिति द्वारा निम्नलिखित अनुपात में की जाती हैः–

(a)	चिकित्सक एवं अन्य सहयोगी कर्मी को प्रोत्साहन राशि	25%
(b)	पारिश्रमिक, उपभोग सेवाओं एवं वस्तुओं के क्रय तथा अस्पताल/संस्था के विकास एवं सुदृढ़ीकरण हेतु	75%

3. वर्त्तमान में राज्य के सरकारी चिकित्सा संस्थानों में शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक संवर्ग में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी है। इसके फलस्वरूप विभिन्न स्तर के सरकारी चिकित्सा संस्थानों में विशेषज्ञ चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराने में कठिनाई उत्पन्न होती है।

4. उक्त के आलोक में स्वास्थ्य बीमा योजनाओं से चिकित्सा संस्थानों को उपार्जित राशि से विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा प्रदान किया जाना है। इससे सरकारी चिकित्सा संस्थानों के माध्यम से आम जनता को उच्चतर गुणवत्ता पूर्ण सुविधा प्राप्त होने के साथ ही चिकित्सकों को सरकारी चिकित्सा संस्थानों में उत्तम स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने में अभिरूची बढ़ेगी तथा प्रोत्साहित होंगे।

5. बीमा योजनाओं से उपार्जित राशि से अस्पताल द्वारा निजी चिकित्सकों को Hire basis पर सेवाएं प्राप्त की जा सकती है। ये सेवाएं मासिक परिलब्धि/दैनिक पारिश्रमिक अथवा Procedure की संख्या के आधार पर प्राप्त की जा सकती है।

6. सरकारी चिकित्सा संस्थानों द्वारा निम्न तालिकाओं के अनुसार उपार्जित राशि का उपयोग किया जायेगाः–

(i) <u>क्षेत्रीय अस्पताल(जिला अस्पताल/अनुमंडलीय अस्पताल/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र)</u>

जिला अस्पताल/अनुमण्डल अस्पताल/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को स्वास्थ्य बीमा योजनाओं से उपार्जित होने वाली राशि का वितरण निम्न प्रकार किया जायेगाः–

(क) संस्थान के सुदृढ़ीकरण हेतु – 75%
(ख) प्रोत्साहन राशि – 25%

प्रोत्साहन राशि का वितरण निम्न तालिका के अनुसार किया जायेगाः–

<u>सदर अस्पताल</u>

चिकित्सा कर्मी	सरकारी चिकित्सकों/चिकित्सा कर्मी द्वारा किये जाने वाले उपचार की स्थिति में (प्रोत्साहन राशि 25% अंतर्गत)	बाह्य विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा किये जाने वाले उपचार की स्थिति में(प्रोत्साहन राशि 25% एवं सुदृढ़ीकरण हेतु निर्धारित 75% अंतर्गत)		बाह्य अति विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा किये जाने वाले उपचार की स्थिति में (प्रोत्साहन राशि 25% एवं संस्थान सुदृढ़ीकरण हेतु निर्धारित 75% अंतर्गत)	
		(प्रोत्साहन राशि 25% के अंतर्गत)	(अतिरिक्त राशि संस्थान सुदृढ़ीकरण हेतु निर्धारित 75% अंतर्गत)	(प्रोत्साहन राशि 25% के अंतर्गत)	(अतिरिक्त राशि संस्थान सुदृढ़ीकरण हेतु निर्धारित 75% अंतर्गत)
	प्रतिशत	प्रतिशत	प्रतिशत	प्रतिशत	प्रतिशत
सिविल सर्जन/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी	2	2		2	
उपाधीक्षक	2	2		2	
सर्जन/मुख्य चिकित्सक जिनके द्वारा ईलाज प्रदान किया गया।	25	25	19	25	25
फिजिशियन/उपचार में सहभागी अन्य चिकित्सक	10	10		10	
निश्चेतक/अन्य विभाग के चिकित्सक जिनके द्वारा चिकित्सा प्रबंधन में सहयोग प्रदान किया गया	15	15	5	15	5
स्टाफ नर्स	15	15		15	
नर्सिंग सहायक	10	10		10	

प्रयोगशाला तकनीशियन	5	5		5	
रेडियोलॉजी तकनीकी सहायक	5	5		5	
अन्य पारा मेडिकल स्टाफ एवं हाउस कीपिंग स्टाफ	5	5		5	
अन्य सहयोगी कर्मी	6	6		6	

बाह्य श्रोत से विशेषज्ञ चिकित्सक/अति विशेषज्ञ चिकित्सक एवं निश्चेतक को सामान्य प्रोत्साहन राशि के अतिरिक्त देय राशि संस्थान के सुदृढ़ीकरण हेतु निर्धारित राशि से दी जायेगी।

(ii) चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल:

चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल को स्वास्थ्य बीमा योजनाओं से उपार्जित होने वाली राशि का वितरण निम्न प्रकार किया जायेगा:–

(क) संस्थान के सुदृढ़ीकरण हेतु – 35%

(ख) संबंधित विभाग के सुदृढ़ीकरण हेतु – 40%

(ग) प्रोत्साहन राशि – 25%

प्रोत्साहन राशि का वितरण निम्न तालिका के अनुसार किया जायेगा:–

चिकित्सा महाविद्यालय

चिकित्सक/चिकित्सा कर्मी	सरकारी चिकित्सकों/ चिकित्सा कर्मी द्वारा किये जाने वाले उपचार की स्थिति में(प्रोत्साहन राशि 25% अंतर्गत)	बाह्य श्रोत से विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा किये जाने वाले उपचार की स्थिति में (प्रोत्साहन राशि 25% एवं संबंधित विभाग को निर्धारित 40% अंतर्गत)		बाह्य श्रोत से अति विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा किये जाने वाले उपचार की स्थिति में (प्रोत्साहन राशि 25% एवं संबंधित विभाग को निर्धारित 40% अंतर्गत)	
		(प्रोत्साहन राशि 25% के अंतर्गत)	(अतिरिक्त राशि विभाग को निर्धारित 40% अंतर्गत)	(प्रोत्साहन राशि 25% के अंतर्गत)	(अतिरिक्त राशि विभाग को निर्धारित 40% अंतर्गत)
	प्रतिशत	प्रतिशत	प्रतिशत	प्रतिशत	प्रतिशत
प्राचार्य	2	2		2	
अधीक्षक	2	2		2	
विभागाध्यक्ष	2	2		2	
सर्जन/मुख्य चिकित्सक जिनके द्वारा ईलाज प्रदान किया गया।	25	25	35	25	45
फिजिशियन/उपचार में सहभागी अन्य चिकित्सक	10	10		10	
निश्चेतक/अन्य विभाग के चिकित्सक जिनके द्वारा चिकित्सा प्रबंधन में सहयोग प्रदान किया गया	15	15	9.5	15	9.5
स्टाफ नर्स	15	15		15	
नर्सिंग सहायक	10	10		10	

प्रयोगशाला तकनीशियन	5	5		5	
रेडियोलॉजिकल तकनीशियन	5	5		5	
अन्य पारा मेडिकल कर्मी एवं हाउस कीपिंग स्टाफ	5	5		5	
अन्य सहयोगी कर्मी	4	4		4	

बाह्य श्रोत से विशेषज्ञ चिकित्सक/अति विशेषज्ञ चिकित्सक एवं निश्चेतक को सामान्य प्रोत्साहन राशि के अतिरिक्त देय राशि विभाग के सुदृढ़ीकरण हेतु निर्धारित राशि से दी जायेगी।

7. अस्पताल में विशेषज्ञ चिकित्सक/अति विशेषज्ञ चिकित्सक की अनुपलब्धता तथा इनकी आवश्यकता के आलोक में अस्पताल द्वारा OPD सेवाओं हेतु भी विशेषज्ञ चिकित्सक/अति विशेषज्ञ चिकित्सक की सेवाएं प्राप्त की जा सकती है। इस हेतु विशेषज्ञ चिकित्सकों को 200 रू0 प्रति मरीज एवं अति विशेषज्ञ चिकित्सकों को 300 रू0 प्रति मरीज पारिश्रमिक देय होगा परन्तु यह राशि प्रति विशेषज्ञ/अति विशेषज्ञ चिकित्सक प्रतिमाह रू0 1,50,000/–(एक लाख पचास हजार) से अन्यून होगी।

यह राशि संस्थान के सुदृढ़ीकरण हेतु निर्धारित राशि के अन्तर्गत देय होगी।

8. बाह्य श्रोत से विशेषज्ञ/अति विशेषज्ञ चिकित्सक की सेवाएं प्राप्त करने की स्वीकृति तथा विशेषज्ञ चिकित्सक का चयन क्षेत्रीय अस्पतालों के मामले में विभागीय पत्रांक–04(अ0) AB-PMJAY-08/2021-117(4) रांची, दिनांक– 14.09.2022 के द्वारा गठित अनुश्रवण समिति से तथा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के मामले में निम्नलिखित समिति द्वारा प्रदान की जायेगी:–

(i) संबंधित जिला के उपायुक्त
(ii) संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय के प्राचार्य
(iii) संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय के अधीक्षक
(iv) संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष
(v) संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय के वरीयतम प्राध्यापक

9. चिकित्सा संस्थान तथा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के विभाग द्वारा उपार्जित राशि का उपयोग निम्न कार्यों के लिए किया जा सकेगा:–

(i) चिकित्सा संस्थान/विभाग के स्थायी आधारभूत संरचना का विकास तथा मशीन उपकरण का क्रय
(ii) चिकित्सक/चिकित्सा कर्मी की सेवाएं बाह्य श्रोत से प्राप्त करने तथा उन्हें प्रोत्साहन राशि प्रदान करना
(iii) दवाओं एवं अन्य उपभोग्य का क्रय जो अस्पताल में उपलब्ध नहीं हो।
(iv) बाह्य श्रोत से करायी गयी चिकित्सकीय जॉच जिसकी सुविधा अस्पताल में उपलब्ध नहीं हो।
(v) बीमा योजना से आच्छादित मरीजों के उपचार में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से उपयोग में आनेवाली सामग्रियॉ यथा–इम्पलान्ट प्रयोगशाला सामग्री, रेडियोलॉजिकल सामग्री/कार्य, ब्लड बैंक से

संबंधित कार्य, आई0सी0यू0 संबंधित सामग्रियॉ,अस्पताल में मरीजों की सुविधा हेतु कार्य आदि

(vi) प्रशासनिक कार्य हेतु व्यय, चिकित्सक एवं चिकित्सा कर्मियों के दक्षता वृद्धि, बैठक, योजना का प्रचार–प्रसार आदि कार्य।

10. प्रोत्साहन राशि का वितरण गत माह में किये गये कार्य के विरूद्ध चालू माह के प्रथम सप्ताह में निश्चित रूप से किया जायेगा।

11. विशेष परिस्थिति में आवश्यकता के आलोक में अस्पताल द्वारा स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अनुमोदन के उपरांत प्रोत्साहन राशि की संरचना में बदलाव किया जा सकता है।

12. उक्त प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की दिनांक–07.08.2024 के बैठक में मद संख्या–16 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

13. इस संदर्भ में निर्गत सभी आदेश/ संकल्प/परिपत्र इस सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे।

आदेश– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को जनसाधारण की जानकारी के लिए झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

(अजय कुमार सिंह)
प्रधान सचिव

ज्ञापांकः–21/आयुष्मान–09–01/2024......108 (21) रांची,दिनांकः– 14.08.2024

प्रतिलिपि–विभागीय नोडल पदाधिकारी, ई–गजट/उप सचिव–सह–नोडल पदाधिकारी विभागीय वेबसाईट, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड राँची प्रेषित।

प्रधान सचिव

ज्ञापांकः–21/आयुष्मान–09–01/2024......108 (21) रांची,दिनांकः– 14.08.2024

प्रतिलिपि–महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि अधिसूचना की 1000 (एक हजार) प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

प्रधान सचिव

ज्ञापांकः—21/आयुष्मान—09—01/2024......108 (21) रांची,दिनांकः— 14.08.2024
प्रतिलिपि—महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव/माननीय मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के आप्त सचिव/मुख्य सचिव के आप्त सचिव/ सभी अपर मुख्य सचिव/ सभी प्रधान सचिव/ सचिव/ सभी विभागाध्यक्ष/ सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/ सभी उपायुक्त को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव
14/8/24

ज्ञापांकः—21/आयुष्मान—09—01/2024......108 (21) रांची,दिनांकः— 14.08.2024
प्रतिलिपि—अभियान निदेशक, एन0एच0एम0/कार्यकारी निदेशक, झारखण्ड राज्य आरोग्य सोसाईटी/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ/सभी क्षेत्रीय उप निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ/निदेशक, रिम्स/ निदेशक, रिनपास/ प्राचार्य/अधीक्षक, एम0जी0एम0 चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल जमशेदपुर/ प्राचार्य/अधीक्षक, शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, धनबाद/ प्राचार्य/अधीक्षक, शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, हजारीबाग/ प्राचार्य/अधीक्षक, फूलो—झानों मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, दुमका/प्राचार्य/अधीक्षक, मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, पलामू/ नोडल पदाधिकारी, मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना/नोडल पदाधिकारी आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन अरोग्य योजना/सभी सिविल सर्जन/सभी कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी/सभी संबंधित अस्पताल/ चिकित्सा संस्थानों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव
14/8/24